

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मनोहरथाना

- 1. वादों वकील श्री डॉ. शोका कुमार द्वारा प्रस्तुत किया गया ।
- 2. वाद अन्दर मियद प्रस्तुत किया है ।
- 3. वाद श्रवणाधिकार क्षेत्र का है ।
- 4. नियमानुसार कोर्ट फीस पर है ।
- 5. प्रतिवादी पक्ष का पूर्ण पता अंकित है ।
- 6. प्रतिवादी पक्ष के पर्याप्त सम्मन एवं पर्याप्त वाद की प्रति संलग्न की हैं ।
- 7. पर्याप्त हेतुक दर्शाया गया है ।
- 8. वाद पक्ष के साथ नवीनतम/आवश्यक राजस्व रेकार्ड संलग्न है ।

रिपोर्ट श्रोमान की सेवामें पेश है ।

2

लिपिक

18-9-19

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जयें रागमग तालब किया जावे । पत्रावली वाले जवाब दिनांक 19/9/19 को पेश हो ।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना, जिला झालावाड़

18-9-19 पत्रावली पेश हुयी ।

वकील वादी उप. प्रतिवादीगण
वावपुप सुचना के अन्तर्गत से इनके विवाद एक
पक्षीय करिवाही अग्रम में लड़ी जाती है। पत्रावली
वाले साथमें दिनांक 26-9-19 को पेश हो ।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना, जिला झालावाड़

पत्रावली पेश हुयी । वकील वादी उप. पत्रावली में वादी के
पक्ष में डीग्री जारी किया चुकी है । अतः पत्रावली पेश
हुया है तथा से नाम है ।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना, जिला झालावाड़



अभिमुद्रा